

निर्णय  
24/09/19

प्राप्त सं. 36/2019  
24/09/19

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : लोक अदालत / 2019 / 36


दिनांक:- 24-09-19

-: निर्णय :-



प्रार्थी श्री महेश कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी रामलाल ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोटवाड़ नाथोतान पटवारी मण्डल कोटवाड़ ताल तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2078-73 के खाता संख्या 70 में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जमिती महेश पुत्र रामू अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से महेश कुमार पुत्र रामलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी हल्का कोटवाड़ ताल से करवाने पर पटवारी ने महेश पुत्र रामू के बजाय महेश कुमार पुत्र रामलाल करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में महेश पुत्र रामू के बजाय महेश कुमार पुत्र रामलाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम कोटवाड़ नाथोतान के खाता संख्या 70 में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जमिती महेश पुत्र रामू के स्थान पर सम्मानजनक रूप से महेश कुमार पुत्र रामलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
(Land Record Officer)  
चूरु